संख्या-1/1251/38-4-14-09(बजट)/2013टी0सी

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 02 दिसम्बर, 2014**

विषय- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की केन्द्रांश के सापेक्ष समतुल्य मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-676/सम्प्रेक्षा/इं0आ0यो0/2014-15, दिनांक-17 अक्टूबर,2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0-1080.00 करोड. में से शासनादेश संख्या-648/38-4-14-09(बजट)/2013, दिनांक-30 मई, 2014 द्वारा रू0-270.00 करोड. एवं शासनादेश संख्या-932/38-4-14-09(बजट)/2013, दिनांक-31 जुलाई, 2014 द्वारा रू0-60036.701 लाख तथा शासनादेश संख्या-1184/38-4-14-09(बजट)/2013, दिनांक-13 अक्टूबर, 2014 द्वारा रू0-6992.829 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से केन्द्राश की धनराशि रू0-1253.437 लाख एवं समतुल्य राज्यांश की धनराशि रू0-417.812 लाख अर्थात कुल रू0-1671.249 लाख (रूपये सोलह करोड. इकहत्तर लाख चौबीस हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखने की स्वीकति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है-

1- स्वीकृति की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

2- स्वीकृति की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

3- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये।

4- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त् नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

5- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिये

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना)(के.75/रा.25)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृति की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

ह0/-

(कामता प्रसाद)

अनु सचिव।

संख्या-1/1251(1)/38-4-2014, तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
3- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उ0प्र0।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4
10- बजट प्रकोष्ठ/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ह0/-

(कामता प्रसाद)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in